

निगानी प्रकरण सं० ३ २४/२०२२

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अनगन:- मोहनलाल v/s लता मुनी आवे

13.08.2024

पत्रावली पेश निगानीकर्ता उपस्थित
नहीं, ना ही अग्निवाक्य निगानीकर्ता उप
आवाज लगाई गई। फिर भी अग्निवाक्य
निगानीकर्ता व निगानीकर्ता स्वयं उपस्थित
नहीं। इसके अतिरिक्त होता है कि निगानीकर्ता
को निगानी चलाने में रुचि नहीं है
अतः निगानीकर्ता को निगानी प्रथम
अदम पेशी, अदम हाजरी में -
स्वार्जित किया जाता है
पत्रावली नम्बर है कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।
आदेश कुले न्यायालय में सुनाया
गया।

३०५

(उममेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़